न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–16 / 14 ((RCMS No.2014 / 00062) 18 आयुध अधिनियम 1959)

किशनी पुत्र दूल्हेराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रहे तहसील बाड़ी जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राजय जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 11.11.2013

उपस्थितिः–

1. श्री माधोसिंह मदेरणा वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक

निर्णय दिनांक 30.08.2018

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार बाडी की रिपोर्ट दिनांक 01.10.2013 के अनुसार अपीलान्ट ने लाइसेन्स बन्दूक के बल पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं जंगल में पशुओं को चरने से भी रोकता है। अतः शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी का शस्त्र अनुज्ञापपत्र निरस्त किया जावे। इसी क्रम में समस्त ग्रामवासी ग्राम रहे तहसील बाड़ी द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने अतिक्रमियों से भय होना तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलान्ट अनुज्ञापत्रधारी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रण किया है तथा शस्त्र का प्रयोग दूसरों को धमकाने हेतु कर रहा है इनके पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने एवं लोकशांति भंग होने की आशंका रहेगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया तथा अनुज्ञापत्रधारी को शस्त्र को थाना में जमा कराने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नही दिया, न ही कोई नोटिस जारी किया गया है। अपीलान्ट को बिना सुने ही निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के बिना ही अपीलान्ट का पश्चातवर्ती कब्जा तथा हथियार का दुरूपयोग माना है जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध आज तक पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नही है। अपीलान्ट ने अपने हथियार का कभी भी दुरूपयोग नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना को नजर रखते हुऐ शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया है जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है कि अपीलान्ट ने कभी हथियार का दुरूपयोग कर, लोक शान्ति को भंग करने का प्रयास किया हो। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अपीलान्ट ने किस सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित भी नही किया है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी नही थी। अपीलान्ट अपने लाईसेनस के रिनुअल हेतु दिनांक 31.12.2013 को जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में उपस्थित हुआ था तो उसे उक्त आदेश की जानकारी हुई थी। अपीलान्ट ने जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है तथा देरी को क्षमा करने के लिये धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक. का तर्क है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार बाड़ी से प्राप्त हुई थी जिसमें अनुज्ञापत्रधारी पश्चातवर्ती अतिक्रमी हैं। अपीलान्ट ने हथियार का दुरूपयोग कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुये तहत अदालत द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2013 को पारित किया है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलान्ट ने जानकारी की दिनांक से अपील पेश की है। अपीलान्ट ने मियाद को कन्डोन करने के लिये धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय सपथ पत्र पेश किया है। अतः लिबरल व्यू लेते हुऐ देरी को क्षमा करने हुऐ अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित तहसीलदारों की रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञापत्र धारियों द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके अलावा अपीलान्ट ने किस राजकीय भूमि पर कब्जा किया है और उसका पश्चातवर्ती अतिक्रमण/कब्जा किस दस्तावेज से साबित हो रहा है, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। साक्ष्य के अभाव में यह कहना उचित नही है कि अपीलान्ट ने हथियार के बल पर राजकीय भूमि पर कब्जा किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया, जो उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश की परिभाषा में नही आता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर, प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्रमांक 2780 दिनांक 11.11.2013 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करें। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.09.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official